चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).आज दिनाँक 19.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय एवं उपजिलाधिकारी राजापुर श्रीमती पूजा गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील सभागार राजापुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी राजापुर ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(3).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनाँक 19.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 209/2011 धारा 394,411 भा0द0वि0 व 12/14 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त पवन कुमार सिंह पुत्र नथन सिंह निवासी हडियापुरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0 **320/2011** धारा 25 ए आर्म्स एक्ट में उपर्युक्त अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2011 को वादी जगदीश प्रसाद राठौर पुत्र पुत्ती लाल राठौर प्रबन्धक इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक गनीवा द्वारा सूचना दी गयी थी कि गनीवा बैंक आ रहा था कि समय लगभग 09.30 ए0एम पर व्यास बन्ना मोड़ पर एक पुराने काले राजदूत मोटर साइकिल से दो व्यक्तियों द्वारा सड़क पर बेड़ा मोटर साइकिल लगाकर उनके दो मोबाइल,बैंको की चाभिया,मो0सा0 हीरोहण्डा स्प्लेण्डर प्लस व 800-900/- रूपये नगदी रिवाल्वर की नोक लूटकर भाग जाना । सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 209/2011 धारा 394,411, भा0द0वि0 व 12/14 डीएए एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्त पवन कुमार सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया । गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त पवन कुमार सिंह के पास एक अवैध अदद तमंचा 315 बोर मय अदद 03 जिन्दा कारतूस बरामद होने पर दिनांक 19.08.2011 अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 **320/2011** धारा 25 ए आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना को तत्कालीन उ0नि0 श्री धर्मेन्द कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनांक 14.01.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(4).आज दिनाँक 19.09.2026 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। इस समाधान दिवस पर विद्युत, चकबंदी, पैमाइश, चकरोड व जलभराव से संबंधित कई शिकायती पत्र प्राप्त हुए। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत

पत्थरगढ़ी उखाड़ने के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि यदि जनपद में विधिक पैमाइश के पश्चात पत्थरगढ़ी उखाड़ने का कोई भी प्रकरण सामने आता है, तो दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के पारदर्शी निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों को अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने और महिला संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए।

(5)पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार मु0 आरक्षी आरिफ खां द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) एसीजेएम श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 19.09.2026 को थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अरविन्द कुशवाहा पुत्र स्व0 चुनवाद निवासी रेलवे स्टेशन भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 9000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।